न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर {राज0}

पीठासीन अधिकारी :- महेन्द्र मीणा आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 29/2015

प्रार्थीगण :-

1. श्रीमति वसुधा देवी पत्नि श्री बद्रीप्रसाद जाति ब्राहमण उम्र करीब 64 वर्ष,
2. मोहनप्रसाद पुत्र श्री दुलाराम जाति जाट उम्र करीब 58 वर्ष,
3. गजेन्द्र पुत्र श्री भंवरलाल, उम्र करीब 20 वर्ष,
4. मनभरी पत्नि स्वर्गीय श्री भंवरलाल, उम्र 42 वर्ष,
5. प्रतापराम उम्र 67 वर्ष,
6. छीगनाराम पिसरान श्री घुडाराम उम्र 64 वर्ष, उक्त की जाति मेघवंषि,
7. सूवटी देवी पत्नि श्री बोदुलाल उम्र 72 वर्ष
8. राजकुमार पुत्र श्री बोदुलाल उम्र 42 वर्ष उक्त दोनो की जाति ब्राह्मण उक्त सभी निवासीगण ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर राज.

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधी श्रीमान तहसीलदार कुचामन सिटी
2. श्रीमान भूमिधारी तहसील कार्यालय कुचामन सिटी

प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित :- श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

निर्णय

दिनांक 09/01/2017

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम मण्डावरा के राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में वर्णित प्रविष्टिया मौके की वास्तविक व भौतिक स्थिति से अव्यवहारिक एवं बेमेल परस्पर विरोधाभाषी होने के कारण लिपीकीय त्रुटिवंश प्रविष्टि का अंकन है, ग्राम मण्डावरा के राजस्व अधिकार अभिलेख व रजिस्टर में दर्ज वर्तमान खसरा नम्बर 96, 101, 107, 114 किस्म गैर मुमकिन नदी-नाला की भूमि होने की प्रविष्टि अंकित है ओर खसरा नम्बर खसरा नम्बर 92, 95, 102, 105 तथा खसरा नम्बर 98, 99, 110, व 111 किस्म जाव, बारानी 2 व 3 कृषिभूमि का अंकन है, मौके पर खसरा नम्बर 92, 95 व 102 की भूमि पर आबादी बसी हुई है ओर खसरा नम्बर 93, 94, 103, 106 किस्म रास्ता की भूमि के रूप में अंकित है। लिपिकीय त्रुटिवश वर्तमान खसरा नम्बर 96,101,107,114 राजस्व रेकर्ड व नक्शे में गैर मुमकिन नदी-नाला की भूमि होने अंकित है परन्तु राजस्व रेकर्ड व नक्शे के विपरीत मौके पर उक्त भूमियाँ काश्त प्रयोजनार्थ उच्च व समतल जाव व बारानी किस्म की कृषि भूमिया है तथा राजस्व अधिकार अभिलेख/रजिस्टर जमांबदी आदि में खसरा नम्बर 98 रकबा 0.15 हैक्टर, किस्म बारानी प्रथम, 99 रकबा 0.19 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम, 110 रकबा 0.28 हैक्टर जाव 3, 111 रकबा 0.22 हैक्टर जाव 3 होने का अंकन किया है लेकिन उक्त भूमि की वास्तविक व व्यवहारिक भौतिक स्थिति मौके पर सीधी रेखा में उक्त भूमि 8-10 फीट गहरी नदी-नाले की भूमि पर अंकित कर दिया गया है, यदि राजस्व नक्शे अनुसार खसरा नम्बर 96, 101, 107, 114 गैर-मुमकिन नाले की भूमि होती तो 60 वर्षो पुरानी आबादी इस भूमि में बसावट करना सम्भव नही होता, ना ही काश्त करना सम्भव होता। ग्राम मण्डावरा के काबिज खातेदार अभिधारीगण

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

ख. नं. 108 गैर मुमकिन कुआं के माध्यम से खेती बाड़ी करते रहे है। खसरा नम्बर 96, 101 107 व 114 में वर्णित भूमि मौके की पर ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ग्राम मण्डावरा की आबादी प्रयोजन के लिए आवासीय प्रयोजनार्थ तथा कृषि कार्यो के लिए प्रार्थीगण खातेदार काश्तकारो द्वारा उपयोग उपभोग मे आ रही है। उक्त राजस्व नक्शे में जो खसरा नम्बर 96 अंकित है उस पर मोके पर खसरा नम्बर 95 के खातेदार ध्रुवसिंह द्वारा बैचान करने के कारण मौके पर छीतर पुत्र जोधाराम बलाई, स्वर्गीय नाथूराम मेघवाल वगैरह नारायणराम पुत्र गोपीराम देवाराम पुत्र नुन्दाराम मेघवाल वगैरह के परिवार बसे हुये है,खसरा नम्बर 101 में खसरा नम्बर 99, 100,102 104,197 के खातेदार प्रतापराम छीगनाराम, गजेन्द्र पुत्र भंवरलाल मनभरी मेघवाल के परिवारजन वक्त जागीर से ही आवास बनाकर रहवास हेतु बसे हुये है, खसरा नम्बर 107 पर खसरा नम्बर 105, 108, 109, 110, 111, 112, 116 व 117 की खातेदार प्रार्थी वसुधा की खेती व मकानात है, खसरा नम्बर 114 पर खसरा नम्बर 113 बारानी व 115 आबादी भूमि के खातेदार मोहनलाल पुत्र दुलाराम काबिज है ओर रहवास एवं कृषि प्रयोजन हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के बाद प्रार्थीगण अभिधारी तथा उनके असाईनिज वारिसान प्रतिनिधी आदि उक्त ख. न. 96,101,107,114 की भूमि पर निरन्तर काश्त कर उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है। वर्तमान खसरा नम्बर 96, 101, 107, 114 मौके पर भौतिक रूप से ऊँची भूमिया है इसी कारण वर्षात आदि के पानी का कभी बहाव नही होने के कारण 1947 ईस्वी से पूर्व में एवं बाद में कभी नाले की भूमि के रूप में उपयोग में नही आयी है ।भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान राजस्व कर्मचरियो व अधिकारीयो ने जमांबदी मे वर्णित खसरा नम्बर 96, 101, 107, 114 किस्म गैर मुमकिन नाला की भूमि को मौके पर भौतिक किस्म अनुरूप नाला की तरह सीधी रेखा के रूप में करीब 8 फीट तक गहराई की भूमि राजस्व नक्शे में अंकित वर्तमान खसरा नम्बर 91 से लगते हुए खसरा नम्बर 98, 99, 110, 111 की भूमि पर अंकन किया जाना था लेकिन लिपिकीय त्रुटिवश अधिकार अभिलेख में इसकी प्रविष्ट मौके पर नाले कि किस्म से विपरीत मौके पर करीब ऊचाई करीब 8 फीट समतल किस्म काश्त प्रयोजन होने राजस्व अधिकार अभिलेख जमांबदी में वर्णित अंकन के विपरीत लिपिकीय त्रुटिववश अशुद्व प्रविष्टि का अंकन हो गया, अर्थात जो भूमि जमांबदी अनुसार जाव बारानी किस्म की है वह राजस्व नक्शे में लिपिकीय त्रुटिवश नाले की भूमि के रूप में अशुद्व प्रविष्टि अंकित कर दी गयी ओर जो भूमि जमांबदी में नाले की किस्म की भूमि है उसे लिपिकीय त्रुटिवश राजस्व नक्शे में अशुद्वी के कारण जाव व बारानी भूमि पर अंकन कर दिया गया है अर्थात ग्राम मण्डावरा के वर्तमान खसरा नम्बर 96, 101, 107, 114 राजस्व नक्शे मे लिपिकीय भूलवश गैर मुमकिन नाले की तरफ गलत व अशुद्व प्रविष्टि का अंकन कर दिया गया है, उक्त खसरा के सम्बन्ध में भौतिक स्थिति के विपरीत विरोधाभाषी व अशुद्व अंकन राजस्व अधिकार अभिलेख में दर्ज अंकन से सर्वथा विपरीत है उक्त खसरा नम्बर 117 रकबा 0.15 हैक्टर किस्म बारानी 2 प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में अंकित है लेकिन करीब 700 मीटर भूमि रास्ते के प्रयोजन में आ रही है, इसलिए परिपेक्ष्य में प्रार्थी संख्या 1 के आधिपत्य में कम रकबा 0.5 हैक्टर भूमि कब्जे में है, राजस्व नक्शे में वर्णित खसरा नम्बर 98 के रूप में अंकित भूमि के मौके पर नाला बना हुआ है, जो राजस्व नक्शे में अंकित खसरा नम्बर 96 की मौके पर बारानी जमीन को 300 मीटर ओवरलेप करता है उक्तानुसार प्रार्थीगण के कब्जे में व रेकर्ड में भूमि मौके पर कम है फलतः प्रविष्टियो में शुद्वी करने से प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की भूमि का रकबा बढ़ता नही है। भू अभिलेख अधिकारी किसी भी समय अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहीत रीति से शुद्व कर सकता है उक्त अशुद्व त्रुटियो को विहीत रिती से शुद्व करवाकर ग्रामीण कृषको के हितो के अनुकुल कार्यवाही किया जाना न्यायहित में जरूरी है। ताकि भविष्य में राजस्व अधिकार अभिलेख व राजस्व नक्शे में भौतिक वास्तविक स्थिति के विपरीत लिपिकिय त्रुटिवश की गयी अशुद्व प्रविष्टि को लेकर किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न नही हो। राजस्व अधिकार अभिलेख व रजिस्टर के विपरीत खसरा नम्बर 96, 101 107 व 114 गैर मुमकिन नाला की भूमि को मौके की भौतिक स्थिति के विपरीत राजस्व नक्शों में लिपिकीय त्रुटिवश की गयी अशुद्व प्रविष्टि सही किया जाकर राजस्व नक्शे में ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 98, 99, 110 व 111 की जगह

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

शुद्व अंकित करने एवं ग्राम मण्डावरा के भू राजस्व अधिकार अभिलेख व रजिस्टर के खसरा नम्बर 98, 99, 110 व 111 को मौके पर कृषि योग्य भूमि के अनुरूप उक्त खसरा नम्बर 96,101,107,114 के स्थान पर शुद्व प्रविष्टि को अंकित किया जाना लोकनीति के अनुकुल है। अतः धारा 131 व 136 के तहत ग्राम मण्डावरा के मौजूदा राजस्व अधिकार अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि के विपरीत राजस्व नक्शे में सेटलमेंट विभाग द्वारा की गयी लिपिकीय त्रुटियो का शुद्धीकरण कर मौके पर कदीम से चली आ रही स्थिति अनुसार शुद्व कर भौतिक रूप से मौजूदा नाले की भूमि जो खसरा नम्बर 98, 99 110 व 111 के स्थान पर ग्राम मण्डावरा की जमांबदी में वर्णित खसरा नम्बर 96, 101 107 व 114 गैर मुमकिन नाला का तथा जमांबदी में अंकित खसरा नम्बर 98, 99 110 व 111 को राजस्व नक्शे में मौजुदा अंकित खसरा नम्बर 96, 101, 107 व 114 के स्थान पर शुद्व अंकन कर कदीम से मौजुद चली आ रही कृषि व आबादी भूमि से सम्बद्व खातेदारो के हक मे शुद्व प्रविष्टि दर्ज कराने के भूमिधारी व हल्का पटवारी को आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज करने के की इस्तदुआ की है।

प्रार्थीगण की तरफ से जमांबदी, राजस्व नक्शा एवं हल्का पटवारी आर. आई द्वारा धारा 91 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही में तैयार की गयी मौका रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपिया न्यायालय में प्रस्तुत की ।

प्रकरण में उभय पक्षकारो की तरफ से बहस सुनी गयी पत्रावली का गुणावगुण विचार कर पत्रावली का अवलोकन किया गया, इस प्रकरण में यह सर्वमान्य तथ्य है कि इस क्षेत्र में सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्य बन्द हो चुका है ओर वर्तमान खसरा नम्बर 96, 101, 107, 114 किस्म गैर मुमकिन नदी–नाला की भूमि है लेकिन राजस्व नक्शे में जिस जगह उक्त खसरान की प्रविष्टि का अंकन किया गया है वह मौके पर उच्च समतल कृषि प्रयोजनार्थ कार्य में आने वाली भूमि है ओर इनमे से कुछ खसरो में आबादी बसी हुई है तथा रास्ता भी मौजुद है, इसी प्रकार खसरा नम्बर खसरा नम्बर 92, 95, 102, 105 तथा खसरा नम्बर 98, 99, 110, व 111 किस्म जाव, बारानी 2 व 3 कृषि भूमि का अंकन है लेकिन उक्त भूमि मौके पर बरसाती नाले की भूमि है जो धरातल से 8 फीट तक की गहरी निम्न सीधी रेखा में आई हुई है जिसमें पानी के बहाव के अलामात है, प्रार्थीगण के उक्त तथ्यो की पुष्टि हल्का पटवारी मण्डावरा व आर.आई. द्वारा धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत तैयार की गयी रिपोर्ट से भली भांति प्रमाणित है, इस परिपेक्ष्य में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 136 का उल्लेख किया जाना आवश्यक है–

131. मानचित्र तथा (क्षेत्रमिति फील्ड बुक) का संधारण– सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियो के समाप्त हो जाने पश्चात भू अभिलेख अधिकारी द्वारा व राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमो के अनुसार मानचित्र व फील्ड बुक रखी जाएगी वह प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येक गांव या गांव के भाग, भू–सम्पति या खेत की सीमाओ के सब परिवर्तनो को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गल्तियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्ड बुक में की गई बतलाई जावे, सही करेगा।

[धारा 136 "गलतियो का शुद्विकरण– भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियो को विहित रीति से शुद्व कर सकेगा या उन्हे शुद्व करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्व पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे।"

परन्तु किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जावे तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्व नही की जाएगी जब तक कि पक्षकारो को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नही दिया गया हो।]

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

इस परिपेक्ष्य में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पटवारी आर. आई द्वारा तैयार की गयी मौका रिपोर्ट से यह प्रमाणित है कि ग्राम मण्डावरा के ग्राम मण्डावरा के राजस्व अधिकार अभिलेख व रजिस्टर में दर्ज वर्तमान खसरा नम्बर 96, 101, 107, 114 किस्म गै.मु.नाला की भूमि होने की प्रविष्टि अंकित है जो मौके पर समतल है जिसमें आबादी रास्ता व कृषि कार्य किया जा रहा है ओर खसरा नम्बर खसरा नम्बर 92, 95, 102, 105 तथा खसरा नम्बर 98, 99, 110, व 111 किस्म जाव, बारानी 2 व 3 कृषि भूमि का अंकन है ओर मौके पर गहरा नाला है। इस परिपेक्ष्य में उक्त खसरान की प्रविष्टि मौके की स्थिति से पूर्णतया विपरीत ओर भिन्न राजस्व नक्शे में अशुद्ध अंकन होना न्यायालय प्रमाणित पाता है। जो कृषि भूमि मौके पर 8 फीट तक गहरी हो उस भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे लिया जाना सम्भव नही है तथा इसी ऊँचाई पर स्थिति भूमि पर नदी नाले के पानी का प्राकृतिक बहाव सम्भव नही है, अतः न्यायालय जिस खसरान किस्म गै.मु. नाला की अशुद्ध किस्म बदल कर शुद्ध अंकन बारानी दर्ज कर दी जावे ओर खसरा नम्बर की अशुद्ध किस्म बारानी,जाव के स्थान पर ओर मौजूदा भौतिक स्थिति के अनुरूप शुद्ध किया जाकर गै. मु. नाला की भूमि दर्ज कर दी जावे तथा उक्त खसरान मे से रकबा 0.05 हैक्टर बारानी जो मौके पर आम रास्ता प्रयोजन उपयोग में आ रही है इसका रकबा प्रार्थी की खातेदारी में 0.05 हैक्टर अशुद्ध अंकन को शुद्ध करने के लिए गैर मुमकिन रास्ता का अंकन करने का आदेश दिया जाना न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

अतः न्यायालय आदेश पारित करता है कि ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 96 रकबा 0.18 हैक्टर गै.मु. नाला, खसरा नम्बर 101 रकबा 0.30 हैक्टर गै.मु.नाला, खसरा नम्बर 107 रकबा 0.57 हैक्टर गै.मु.नाला, खसरा नम्बर 114 रकबा 0.07 हैक्टर गै.मु.नाला की अशुद्ध किस्म को बारानी द्वितीय शुद्ध किये जाने तथा खसरा नम्बर 98 रकबा 0.15हैक्टर बारानी, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.19 हैक्टर बारानी , खसरा नम्बर 110 रकबा 0.28 हैक्टर जाव, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.22 जाव की अशुद्ध किस्म को गै.मु. नाला शुद्ध किये जाने तथा इसी मुताबिक खातेदारान के नाम राजस्व रेकार्ड में सही किये जावे । राजस्व नक्शे एवं रेकार्ड में आवश्यक शुद्ध प्रविष्टि दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनॉक 03/1/17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)